

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा-मा/छाप्रोप्र/ए/शालादर्पण/2025-26/40068-7734720/2a दिनांक-यथाहस्ताक्षर

विस्तृत दिशा-निर्देश वर्ष 2025-26

जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता।

| | | |
|----|--------------------|--|
| 1. | योजना का नाम | जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता। |
| 2. | योजना का उद्देश्य | राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा में नियमित अध्ययन के लिए एवं अध्ययन में बेहतर प्रदर्शन हेतु प्रेरित करना। |
| 3. | आवेदन की प्रक्रिया | <ul style="list-style-type: none">➤ आवेदन की समस्त प्रक्रिया विद्यालय के शालादर्पण प्रभारी द्वारा संपादित की जानी है।➤ शालादर्पण पोर्टल के बेनीफिशियरी मोड्यूल में लॉगइन करने पर बाईं ओर OTHER SCHEMES में जाकर संबंधित योजना का चयन करने पर विद्यालय के कक्षा 11 वीं व 12वीं कक्षा में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति की छात्राओं का कक्षावार डाटा प्रदर्शित होगा।➤ कक्षा पर लेफ्ट क्लिक करने पर विद्यार्थियों की सूची प्रदर्शित होगी।➤ आवेदन हेतु पात्र विद्यार्थियों के नाम के समक्ष APPLY बटन पर लेफ्ट क्लिक करें।➤ विद्यार्थी का आवेदन खुलने पर निम्न प्रविष्टियाँ मैनुअल की जानी हैं –<ul style="list-style-type: none">○ विद्यार्थी का पता○ विद्यार्थी के परिवार का जनाधार आई.डी संख्या एवं जनाधार आई.डी में विद्यार्थी की व्यक्तिगत पहचान संख्या○ विद्यार्थी का मोबाइल नंबर, आधार संख्या व परिवार की वार्षिक आय➤ बैंक इनफार्मेशन।➤ सभी प्रविष्टियाँ किये जाने के पश्चात अप्लाई बटन पर लेफ्ट क्लिक कर आवेदन लॉक करें।➤ शालादर्पण प्रभारी संस्थाप्रधान के मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी की मदद से प्रस्ताव लॉक करेंगे।➤ अंतिम दिनांक तक आवेदन लॉक नहीं किये जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः लॉक हो जायेंगे।➤ अपात्र विद्यार्थियों हेतु नाम के समक्ष REJECT बटन पर लेफ्ट क्लिक करके REJECTION के कारण का चयन करें।➤ विद्यालय द्वारा प्राप्त ऑनलाईन आवेदन को जांचकर आवेदन सम्बंधित जिला शिक्षा अधिकारी को भिजवाया जाएगा। |
| 4. | देय लाभ | जनजाति छात्राएं जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत हो उन्हें उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु 350/- रुपये प्रतिमाह की दर से 10 माह हेतु 3500/- रुपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान एक मुश्त किया |

| | | |
|----|-----------------|--|
| | | जायेगा। |
| 5. | पात्रता | <ul style="list-style-type: none"> • छात्रा राजस्थान की मूल निवासी हो। • छात्रा राजकीय विद्यालय में 11वीं व 12 वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। • छात्रा अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्बन्धित हो। • छात्रा के माता-पिता/अभिभावक/संरक्षक/पति आयकर दाता न हो। • जो छात्रा सरकार द्वारा संचालित छात्रावास में निवासरत रहकर अध्ययन कर रही है उन्हे उक्त योजना में लाभ देय नहीं होगा। |
| 6. | आवश्यक दस्तावेज | <ol style="list-style-type: none"> 1. जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड एवं जनाधार कार्ड। 2. माता-पिता/पति/अभिभावक/संरक्षक का आयकर दाता नहीं होने बाबत स्वयं का आय घोषणा पत्र। 3. मूल निवासी प्रमाण-पत्र। |
| 7 | तिथि विवरण | संस्था प्रधान द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर वांछित सूचनाएँ ऑनलाईन अपलोड पश्चात् सबमिट/लॉक करने की अंतिम तिथि 30.09.2025 |

(सीताराम जाट)

आई.ए.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

एवं पदेन अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (वरिष्ठ)

समग्र शिक्षा अभियान